

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, खारा महेचान


प्रकरण सं.:- 102/2018

दिनांक:- 12-8-18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1490

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी होडू व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम जैरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 72 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि बाबुसिंह पुत्र खेताराम के स्थान पर बाबुसिंह पुत्र खेतसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 12-8-18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1491-1493

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बाबुसिंह पुत्र खेतसिंह निवासी जैरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी